

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5746
06 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात मूल्य

5746. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इस्पात के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) से (ग): सरकार ने इस्पात क्षेत्र में निवेश और निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- i. इस्पात क्षेत्र में निवेश और निर्यात पर प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित नीतियों की अधिसूचना:
 - क. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और हाई-ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, विद्युत् इस्पात, विशेष इस्पात एवं मिश्र-धातु की समग्र मांग को घरेलु स्तर पर पूरा करने की परिकल्पना की गई है।

- ख. मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति।
- ग. प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर इस्पात का विनिर्माण करने हेतु घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति।
- घ. निवेश बढ़ाने और आयात प्रतिस्थापन के लिए आयातों के ग्रेडों के संबंध में अग्रिम सूचना के प्रसार के जरिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।
- ड. पूँजीगत निवेश को आकर्षित करके घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए देश में ही विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहित करके लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
- ii. इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
- iii. देश में इस्पात के उपयोग, समग्र माँग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता से 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।
- iv. भारतीय इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए इस्पात उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क में समायोजन और कुछ कच्चे माल और इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपाय।
- v. व्यापार की सुगमता को बेहतर करने और अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने के लिए अन्य उपाय, घरेलू उद्योग को सहायता प्रदान करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए बाजार पहुँच पहल (एमएआई), स्टार्ट अप पहलें आदि और निवेश को आकर्षित करने और निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल व्यापारिक वातावरण सृजित करना।
